संख्या-146/78-1-2018-87आई0टी0/2014

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 | लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के बिन्दुओं 3.2 एवँ 3.3 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78- 1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे।

3- राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रू 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 3.2 तथा 3.3 के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था की गई है:-

3.2 अवस्थापना विकास

राज्य में व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण संकुल (Electronics Manufacturing Clusters)/ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना पर बल दिया जायेगा। ये EMCs / ई.एस.डी.एम. पार्क्स ।

- ज्ञान आधारित नव-प्रयोगों एवं प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक क्षेत्रों के सृजन, व्यक्ति- कारित नव-प्रयोग तथा वैश्विक नेटवर्किंग।
- पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं के अनुश्रवण व प्रबन्धन की उच्च क्षमता।
- नगरीय परिवहन में सुधार तथा अधिक संरक्षित नगरीय स्थल।
- भूमि, विद्युत (24X7 गुणवत्तायुक्त निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति), पानी, सड़क इत्यादि जैसी आधारभूत अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने में सहायक होंगे।

3.3 ई-अपशिष्ट प्रबन्धन (e-waste handling)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबन्ध सहित, e-waste handling (management and Handling) Rules 2011 का क्रियान्वयन सहज बनाने हेतु उद्योग के साथ मिलकर एक तंत्र का निर्माण। राज्य में उत्पन्न ई-अपशिष्ट के लिए ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग (recycling industry) को प्रोत्साहन।

5. उपरोक्त के क्रम में अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( संजीव सरन )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-146(1)/78-1-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( राज बहादुर )
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।